कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक- 1372 / 12—1 :देहरादूनः दिनांकः 15 जनवरी, 2026

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।

विषयः— जनपद बागेश्वर में मा0 मुख्यमंत्री घोशणा सं0 665/2015 के अन्तर्गत दाड़िमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 कि0मी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.98 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0—FP/UK/ROAD/20005/2016)

संदर्भः— भारत सरकार का पत्रांक सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/59/2021/ एफ0सी0/1582 दिनांक 7.03.2024।

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर पत्रांक 3319/12—1—2 दिनांक 31.12.2025 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है :—

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रतिपूरक वनीकरणः—	
	क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.96 है0 सिविल सोयम भूमि यथा खसरा संख्या 2 ग्राम—पोलिंग में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.96 है0 सिविल सोयम भूमि यथा खसरा संख्या 2 ग्राम—पोलिंग में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा।
	ख). प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रदान की गई गैर—वन/सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित की जाएगी तथा उक्त हस्तांतरित एवं नामांतरित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम, 1927 की प्रासंगिक धारा (ओ) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचना किया जाएगा। उक्त अधिसूचना चरण—II/अंतिम अनुमोदन की अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।	ख). प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रदान की गई गैर—वन/सिविल सोयम भूमि को जिलाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 31/छब्बीस—08 वन (24—25)/2025 दिनांक 03.05.2025 से वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित कर दिया गया है तथा उक्त हस्तांतरित एवं नामांतरित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम, 1927 की प्रासंगिक धारा (ओ) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचना किया जाएगा।
	ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई—ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई—ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

2	शुद्ध वर्तमान मूल्यः–	
	(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में IA नं0 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 अधिनियम में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.98 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में IA नं0 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.2003ए 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 अधिनियम में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार को रू0 19,90,316.00 (उन्नीस लाख नब्बे हजार तीन सौ सोलह मात्र) का 1.98 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) ऑनलाईन जमा करा दिया गया है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	(ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो तो अंतिम रूप देने के बाद देय होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्न–1)**
3	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 111 वृक्षों एवं 11 सपलिंग्स से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 111 वृक्षों एवं 11 सपलिंग्स से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी। प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
4	प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा प्रस्तावित प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का विवरण (खसरा सं0 ग्राम, तहसील, जनपद आदि) साथ ही वर्तमान दरों के अनुसार संशोधित प्रतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत कराई जाएगी।	संलग्न है। **(संलग्न–2)**
5	प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को चरण–II मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और परिवर्तित किया जाएगा।	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रदान की गई गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को जिलाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 31/छब्बीस–08 वन (24–25)/2025 दिनांक 03.05.2025 से वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित कर दिया गया है। **(संलग्न–3)**
6	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलवा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस संबन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलवा निस्तारण नहीं किया जाएगा सहमत है इस संबन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्न–4)**
7	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के अध्याय 11 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
8	राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

	के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण–II का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।	
9	एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
10	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरितध् जमा किए जाएंगे।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
11	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
ख).	**राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के पश्चात क्षेत्र में शर्तो का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण–II** अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।	
1	वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद की वन भूमि सौंपी जाएगी	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद की वन भूमि सौंपी जाएगी– प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवष्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभ की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याषित लागत वृद्धि उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु ग्राम–पोलिंग में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 29,16,694.00 मात्र (रू0 उनतीस लाख सोलह हजार छः सौ चौरानब्बे मात्र) की धनराशि का भुगतान UTR No. R.B.I 2492482873686 Dtd 05.09.2024 द्वारा जमा किया जा चुका है। **(संलग्न–5)**
4	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियॉ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
5	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त जहां भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6	वैकल्पिक/प्रतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र में पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।

7	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
8	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
9	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
10	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
12	सम्बन्धित वन मंडल के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और central verge पर strip plantation करेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अन्तराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साइनेज बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण जहाँ भी लागू हो, वन क्षेत्र में उपयुक्त अण्डर/ओवर पास प्रदान करेगी	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
18	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
19	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
20	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा

	निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार सयमबद्ध तरीके से पूर्व किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार सयमबद्ध तरीके से पूर्व किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21	यदि कोई सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबन्धित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मा0 न्यायालय आदेश (आदेशी) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशी) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हों।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
23	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं एफ.सी.ए. नियम 2023 के अन्तर्गत निर्धारित कार्यवाई की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण को संस्तुति सहित इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 यथासंशोधित–2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 1372 / 12–1 दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर ।

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com

पत्रांक 3319 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 31 / 12 /2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :- जनपद बागेश्वर में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665/2015 के अन्तर्गत दाड़िमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 कि0मी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.98 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0--**FP/UK/ROAD/20005/2016)**

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/59/2021/ एफ0सी0/1582 दिनांक 7.03.2024

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन द्वारा **जनपद बागेश्वर में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665/2015 के अन्तर्गत दाड़िमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 कि0मी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.98 है0** वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है :-

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	**प्रतिपूरक वनीकरण:-**	
क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.96 है0 सिविल सोयम भूमि यथा खसरा संख्या 2 ग्राम--पोलिंग में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।		क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.96 है0 सिविल सोयम भूमि यथा खसरा संख्या 2 ग्राम--पोलिंग में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा।
ख). प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रदान की गई गैर--वन/सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित की जाएगी तथा उक्त हस्तांतरित एवं नामातरित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम, 1927 की प्रासंगिक धारा (ओं) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचना किया जाएगा। उक्त अधिसूचना चरण--II/अंतिम अनुमोदन की अनुपालन रिर्पोट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।		ख). प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रदान की गई गैर--वन/सिविल सोयम भूमि को जिलाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 31/छब्बीस--03 वन (24--25)/2025 दिनांक 03.05.2025 से वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित कर दिया गया है तथा उक्त हस्तांतरित एवं नामांतरित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम, 1927 की प्रासंगिक धारा (ओं) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचना किया जाएगा।
ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई--ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।		प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई--ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

Nodal adikari

2	शुद्ध वर्तमान मूल्यः–	
	(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नं0 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 एफ.सी. (pt.2), दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 अधिनियम में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.98 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नं0 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.2003ए 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 अधिनियम में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार को रू0 19,90,316.00 (उन्नीस लाख नब्बे हजार तीन सौ सोलह मात्र) का 1.98 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) ऑनलाईन जमा करा दिया गया है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	(ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो तो अंतिम रूप देने के बाद देय होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। (संलग्न–)
3	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 111 वृक्षों एवं 11 सपलिंग्स से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 111 वृक्षों एवं 11 सपलिंग्स से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी। प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
4	प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा प्रस्तावित प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का विवरण (खसरा सं0 ग्राम, तहसील, जनपद आदि) साथ ही वर्तमान दरों के अनुसार संशोधित. प्रतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत कराई जाएगी।	संलग्न है।
5	प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को चरण–II मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और परिवर्तित किया जाएगा।	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रदान की गई गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को जिलाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 31/छब्बीस–08 वन (24–25)/2025 दिनांक 03.05.2025 से वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित कर दिया गया है
6	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलवा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस संबन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलवा निस्तारण नहीं किया जाएगा सहमत है इस संबन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र संलग्न है।
7	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के अध्याय 11 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटानं अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
8	राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

Nodal adikari

	समाप्ति से पहले चरण–II का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।	
9	एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
10	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरितध् जमा किए जाएंगे।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
11	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
ख).	**राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के पश्चात क्षेत्र में शर्तो का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण–II अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।**	
1	वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद की वन भूमि सौंपी जाएगी	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद की वन भूमि सौंपी जाएगी– प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभ की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याषित लागत वृद्वि उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु ग्राम–पोलिंग में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 29,16,694.00 मात्र (रू0 उनतीस लाख सोलह हजार छः सौ चौरानब्बे मात्र) की धनराशि का भुगतान UTR No. R.B.I 2492482873686 Dtd 05.09.2024 द्वारा जमा किया जा चुका है।
4	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियाॅं प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
5	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त जहां भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6	वैकल्पिक/प्रतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र में पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
7	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
8	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।

Nodal adikari

9	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
10	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
12	सम्बन्धित वन मंडल के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और central verge पर strip plantation करेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अन्तराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साइनेज बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण जहाँ भी लागू हो, वन क्षेत्र में उपयुक्त अण्डर/ओवर पास प्रदान करेगी	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
18	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
19	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
20	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार सयमबद्ध तरीके से पूर्व किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे क निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना व लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौ लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने व कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बना जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार सयमब तरीके से पूर्व किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों व कटाई की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहम है।
21	यदि कोई सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।

Nodal adikari

	/नियम/न्यायालय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	
22	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबन्धित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मा0 न्यायालय आदेश (आदेशी) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण-(एनजीटी) के आदेश (आदेशी) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हों।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
23	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं एफ.सी.ए. नियम 2023 के अन्तर्गत निर्धारित कार्यवाई की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।

संलग्न– प्रतियों में

भवदीय,

(आदित्य रत्न)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

पत्रांक / दिनांकित ।

प्रतिलिपि – वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 कपकोट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आदित्य रत्न)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Nodal adikari

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक 925 /2ई0 दिनांक 21 / 05 / 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग बागेश्वर।

विषयः– जनपद बागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665 / 2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.98 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रतयावर्तन (Online NO FP/UK /ROAD /20005/2016)

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक सं0 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 59 / 2021 / एफ0सी0 / 1532 दिनांक 07.03.2024

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा जनपद बागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665 / 2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.98 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण को प्रत्यार्वतन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जा रही हैः–

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	**प्रतिपूरक वनीकरणः–**	
	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.960 है0 सिविल सोयम भूमि यथा खसरा सं0 2 ग्राम ग्राम पोलिग में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहा तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए	प्रभागीय वनाधिकारी से सम्बन्धित है।
	(ख) प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रदान की गई गैर वन / सिविल सोयम भमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित की जाएगी तथा उक्त हस्तातरित एवं नामांतरित भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम 1927 की प्रासंगिक धारा (ओ) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रुप में अधिसूचित किया जाएगा। उक्त अधिसूचना चरण–।। अंतिम अनुमोदन की अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।	भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित कर दिया गया है।

	(ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य और डब्लू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य और डब्लू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
2	**<u>शुद्व वर्तमान मूल्य</u>**	
	(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP© संख्या 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.08.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्राल द्वारा पंत्राक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt. 2) दिनाक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.980 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्वि वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP© संख्या 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.08.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्राल द्वारा पंत्राक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt. 2) दिनाक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.980 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। जिस हेतु प्रयोकता अभिकरण सहमत है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्वि वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अंतिम रुप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक श्पथपत्र प्रस्तुत करेगा।	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्वि वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अंतिम रुप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। जिस हेतु प्रयोकता अभिकरण सहमत है। (प्रमाण पत्र संलग्न–01)
3	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 111 वृक्षों एवं 11 सपलिंग्स से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 111 वृक्षों एवं 11 सपलिंग्स से अधिक नहीं होगी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा कर दी जायेगी। जिस हेतु प्रयोकता अभिकरण सहमत है।
4	प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का विवरण (खसरा सं0 ग्राम तहसील, जनपद आदि) साथ ही वर्तमान दरों के अनुसार संशोधित प्रतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत करायी जायेगी।	प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का विवरण (खसरा सं0 ग्राम तहसील, जनपद आदि) साथ ही वर्तमान दरों के अनुसार संशोधित प्रतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत करायी गयी है।
5	प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को चरण–।। मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और परिवर्तित किया जाएगा।	प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को चरण–।। मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित कर लिया गया है। (सग्लन–02)

6	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलवा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलवा निस्तारण नहीं किय जाएगा (संलग्न–3)
7	गार्डडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों अध्याय 11 अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
8	राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण–।। का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग का रोक देगा।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र द्वारा सुनिश्चित कर दिया गया है। (संलग्न–3)
10	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https:// parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रंबधन और योजना प्राधिकरण फड में स्थानातरित जमा किए जायेगें।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https:// parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रंबधन और योजना प्राधिकरण फड में स्थानातरित कर दिया गया है। (पत्र संलग्न–03)
11	अनुपालन रिपोर्ट ई–पार्टल (https:// parivesh. nic.in) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पार्टल (https:// parivesh. nic.in) पर अपलोड कर दी गयी है।
	(ख) राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वनभूमि सौंपने के पश्चात क्षेत्र में शर्तो का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन वचन पत्र के रुप में अनुपालन चरण–।। अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।	
	1– वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत (संलग्न–4)
	2– परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।

3– प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमान्त और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
4–राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियों प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
5–मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/ राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त, जँहा भी लगू हो का सख्ती से अनुपालन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
6–बैकल्पिक/प्रतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र में पॉचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी धनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्य वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति धनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
7– वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
8–पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
9– केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है। (संलग्न–5)
10–वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है। (संलग्न–6)
11–प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन निगम अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत्र से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है। (संलग्न–7)

12–संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देषानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर (Forward/Backward bearings) अंकित हो।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
13–प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और Central verge पर Strip plantation करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है। (संलग्न–8)
14–प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साइनेज बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
15–प्रयोक्ता अभिकरण जॅहा भी लागू हो, वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
16–परियोजना कार्य के निशपादन के लिए निर्माण सामाग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है। (संलग्न–9)
17–वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिश्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
18–केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थति में किसी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांरित नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
19–पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के सरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित षर्तें लागू होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
20–प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिश्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावष्यक रुप से तय सीमा के नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनजीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण सीलों को राज्य वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
21– यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेष/ अनुदेष आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।

	22– प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार द्वारा परियोजना से सम्बन्धित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमा, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश(आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
	23– उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं एफ0सी0ए0 नियम 2023 के अन्तर्गत निर्धारित कारवाही की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।

संलग्न–चार प्रतियों में।

भवदीय
21/5/25

(ई0 अमित कुमार पटेल)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
कपकोट
21-05-2025

पत्रांक /2ई0 दिनांक /05/2025

प्रतिलिपिः–

1. सहायक अभियन्ता द्वितीय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वनभूमि सहायक को कार्यालय रिकार्ड हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
कपकोट

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
सत्यमेव जयते
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8 बी/यू०सी०पी०/06/59/2021/एफ०सी०/1582 दिनांक: 07/03/2024

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद-बागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665/2015 के अन्तर्गत दाड़िमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 कि0मी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.98 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/20005/2016)

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या 2437/FP/UK/ROAD/20005/2016 दिनांक 22.03.2021

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल / अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त सूचनायें चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 22.10.2023 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार जनपद- बागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 **665/2015** के अन्तर्गत दाड़िमखेत से कन्यालीकोट तक **5.00** कि0मी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु **1.98** है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:

(क.) राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने से पूर्व जिन शर्तों का पालन करना आवश्यक है।

1- प्रतिपूरक वनीकरण:

(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.96 **है0** सिविल सोयम भूमि यथा खसरा संख्या 2, ग्राम-पोलिंग में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।

(ख) प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रदान की गई गैर-वन / सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित की जाएगी तथा उक्त हस्तांतरित एवं नामांतरित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम, 1927 की प्रासंगिक धारा (ओ) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। **उक्त अधिसूचना चरण-II/ अंतिम अनुमोदन की अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।**

LiFE Lifestyle for Environment

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट

(ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी कार्य और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

2- **शुद्ध वर्तमान मूल्य**

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 अधिनियम में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.98 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

3- प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 111 वृक्षों एवं 11 सपलिंग्स से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

4- **प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा प्रस्तावित प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का विवरण (खसरा सं., ग्राम, तहसील, जनपद आदि) साथ ही वर्तमान दरों के अनुसार संशोधित प्रतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत कराई जाएगी।**

5- प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर-वन/ सिविल सोयम भूमि को चरण-II मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और परिवर्तित किया जाएगा।

6- वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलबा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।

7- गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के अध्याय 11 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश मे उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।

8- राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण-II का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।

9- एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

10- परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरितध् जमा किए जाएंगे।

11- अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
…

(ख.) राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के पश्चात क्षेत्र में शर्तों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण- II अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।

1- वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।

2- परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।

3- प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

4- राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियाँ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।

5- मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक / राज्य वन्यजीव बोर्ड / राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।

6- वैकल्पिक / प्रतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र मे पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।

7- वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।

8- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।

9- केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

10- वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

11- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

12- संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।

13- प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और central verge पर strip plantation करेगी।

14- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साइनेज बनाया जाएगा।

15- प्रयोक्ता अभिकरण जहां भी लागू हो, वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगी।

16- परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

17- वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो० नि० वि०

18-केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

19-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

20-प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि यह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

21-यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

22-प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।

23-उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं एफ.सी.ए. नियम 2023 के अंतगत निर्धारित कार्रवाई की जाएगी।

This bears the approval of competent authority.

Signed by Neelima Shahभवदीया,
Date: 06-03-2024 11:19:38

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अ. प्र. वन संरक्षक एवं नोडल अधि., वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. प्रभागीय वन अधिकारी, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर।
4. आदेश पत्रावली।

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट

आदेश

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम बाङ्गिखेत से कन्यालीकोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.98है0 वन भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार,क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्र संख्या: 08बी/यू0सी0पी0/06/59/2021/एफ0सी0/1632 दिनांक 07.03.2024 से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृत के क्रम में उपजिलाधिकारी,कपकोट की आख्या दिनांक 20 फरवरी, 2025 एवं दिनांक 25 अप्रैल,2025 से जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम बाङ्गिखेत से कन्यालीकोट तक मोटर मार्ग निर्माण में प्रयुक्त 1.98है0 वन भूमि की दुगुनी 3.96है0 सिविल भूमि, जो ग्राम पोलिंग,तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर के गैर ज0वि0व्य0अ0संख्या-40,श्रेणी 9(3)ड बंजर काबिल आबाद के नैनाइसी खेत संख्या-913 रकबा 4.590है0 में गठित वन पंचायत भूमि मध्ये 3.960है0 भूमि का प्रस्ताव क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराया गया है। प्रस्तावित भूमि में कोई धार्मिक स्थान यथा मन्दिर,मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च नहीं है तथा पूर्व में किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रस्तावित/चयनित नहीं किया गया है।

अतः शासनादेश संख्या: 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार,क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र दिनांक 07.03.2024 में निहित शर्तों के अधीन उक्तानुसार चिन्हित/प्रस्तावित कुल 3.960है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्रयोजन हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर।

संख्याः 31 /छब्बीस-08वन(24-25)/2025 दिनांक 03/05/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित :-

01. प्रभागीय वनाधिकारी,बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर।
02. उपजिलाधिकारी,कपकोट।
03. अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग,कपकोट।
04. तहसीलदार,कपकोट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण-पत्र सहित वन विभाग एवं याचक विभाग को उपलब्ध करवाते हुए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भी उपलब्ध करायें।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

सहायक अभियन्ता तृतीय / वनभूमि सहायक

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
कपकोट

अधि0अभि0
13/05/2025

प्रपत्र– 23

परियोजना का नामः– माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विकास खण्ड कपकोट में दाडिमखेत से कन्यालीकोट मोटर मार्ग का मिलान (11.00 किमी0) वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ...नेकाना खुमटिया
तहसील का नाम ...गरुड.......... जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट मोटर मार्ग का मिलान (11.00 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वनभूमि 0.540 हे0 सिविल सोयम भूमि 1.440 हे0 वन पंचायत भूमि 0.0.. हे0) अर्थात कुल 1.980 हे0 वनभूमि का लो0नि0वि0 कपकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नेकाना खुमटिया द्वारा दिनांक 12/11/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नेकाना खुमटिया के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 कपकोट प्रयोक्त एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य व सही है।

ह0/– [signature]
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव पंचायत ...नेकाना खुमटिया
वि0 ख0 – गरुड़ (बागेश्वर)

ह0/– [signature]
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत नैकाना खुमटिया
वि0ख0 गरूड़ (बागेश्वर)

37

छाया प्रति प्रमाणित
[signature]
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट

परियोजना का नाम– माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विकास खण्ड कपकोट में दाड़िमखेत से कन्यालीकोट मोटर मार्ग का निर्माण (11.00 कि0मी0) वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक 12/01/16 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत नैकाना खुमटिया

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	श्री बहादुर सिंह	[illegible]
2	" दलीप सिंह	दलीप सिंह
3	" मोहन राम	मोहन राम
4	" नैन राम	नैन राम
5	" कमल राम	Kamal Ram
6	" गोपाल राम	गोपाल राम
7	" मान सिंह	मान सिंह
8	" जोगा सिंह	जोगा सिंह
9	" हरीश सिंह	Harish Singh
10	" रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह
11	श्रीमती बसुली देवी	बसुली देवी
12	" तुलसी देवी	तुलसी देवी
13	" पुष्पा देवी	पुष्पा देवी
14	" हेमा देवी	हेमा देवी
15	श्रीमती चन्द्रा देवी	चन्द्री देवी
16	श्री कुन्दन राम	[illegible]
17	" गोपाल राम	गोपाल राम
18	" माधव राम	माधव राम
19	" देव राम	देव राम
20	" नेम राम	नेम राम

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
कपकोट

प्रधान
ग्राम पंचायत नैकाना खुमटिया
विकासखण्ड प्रधान (बागेश्वर)

प्रपत्र– 23.2

परियोजना का नाम:– माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विकास खण्ड कपकोट में दाड़िमखेत से कन्यालीकोट मोटर मार्ग का मिलान (11.00 किमी0)।

कार्यालय उप जिलाधिकारी बागेश्वर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कपकोट

उपखण्ड कपकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विकास खण्ड कपकोट में दाड़िमखेत से कन्यालीकोट मोटर मार्ग का मिलान (11.00 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि 0.540 हे0 सिविल एवं सोयम वनभूमि 1.440 हे0 वन पंचायत भूमि 0.0 हे0 , अर्थात कुल 1.980 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील गरुड़) की दिनांक 03/05/16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील गरुड़) की दिनांक 03/05/16 को सम्पन्न बैठककी कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री रविन्द्र सिंह उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री. रविन्द्र सिंह .... उपजिलाधिकारी गरुड़ अध्यक्ष
2– श्री सतेन्द्रनाथ त्रिपाठी उप प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर सदस्य
3– श्री दलीप कुमार समाज कल्याण अधिकारी गरुड़ सदस्य/सचिव
4– श्री आनन्द सिंह [illegible] बी0डी0सी0 क्षेत्र [illegible] सदस्य

उप जिलाधिकारी गरुड़ (बागेश्वर)

सहायक समाज कल्याण अधिकारी खण्ड गरुड़ (बागेश्वर)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक मे स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठककी कार्यवाही प्रारम्भ की गई।माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि दाड़िमखेत से कन्यालीकोट मोटर मार्ग के परियोजना हेतु 1.980 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया।ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुशंसा की गई है।

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
[illegible] खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी......बागेश्वर......अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तद् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गरूड़ क्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के **अन्तर्गत विकास खण्ड कपकोट में दाडिमखेत से कन्यालीकोट मोटर मार्ग का मिलान (11.00 किमी0)** परियोजना निर्माण हेतु ...1.980 हे0 वनभूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड गरूड़ (बागेश्वर)

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील......गरूड़......
जनपद......बागेश्वर......

प्रतिलिपि जिलाधिकारी......बागेश्वर......को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील......गरूड़......
जनपद......बागेश्वर......

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड गरूड़ (बागेश्वर)

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट

वन पंचायत ~~मैलाना~~ सुमगढ़ की बैठक कार्यवाही

दिनांक 12/01/16 को वन पंचायत मैलाना सुमगढ़ की बैठक हुई जिसमें लिफ्ट कपकोट से खाड़िखेत से कन्यालीकोट 5 कि.मी. मोटर मार्ग के समरेखण में वन पंचायत की भूमि आ रही है जिसमें उक्त सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं वन पंचायत सदस्यों के साथ चर्चा की गयी। सर्व सम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि मोटर मार्ग का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, अतः मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया कि उक्त प्रस्ताव की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को कार्यवाही हेतु भेजा जाय।

ह0

सरपंच

दिनांक :–

स्थानः–

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपस्थित सदस्य वन पंचायत

(1) श्रीमती तुलसी देवी – तुलसी देवी
(2) श्री दलीप सिंह – दलीप सिंह
(3) " हरीश सिंह – [signature]
(4) " हरीश सिंह – [signature]
(5) श्रीमती कलावती देवी –

सरपंच

मलाना सिं0वन पंचा0

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता

नि0 खं0 लो0 नि0 वि0

कपकोट

प्रपत्र– 23.3

परियोजना का नामः– माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु **1.980 हे0** वन भूमि **निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट** प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति **बागेश्वर** तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिलाधिकारी
बागेश्वर
जिलाधिकारी
बागेश्वर

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नामः– माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु **1.980 हे0** वन भूमि निर्माण खण्ड, **लोक निर्माण विभाग कपकोट** (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नही हो रहे हैं।

जिलाधिकारी
बागेश्वर
जिलाधिकारी
बागेश्वर

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट

Form-1
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwer

NO....................... *Dated...13/5/16*

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.980** hectares of forest and proposed to be diverted in favour of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Darimkhet-Kanyalikot Motor Road (Length 5.00) in Bageshwer** district falls within It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.980** hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annuxer.....**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Goverment as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have givin their consent ti it;......**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwelers. No onjection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.**
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities. **Certificate prescribed in form 23-4 attached.**

Enclosed- as above

Signature

Dated 13/05/15

(Bhupal Singh Manral)
District Collector जिलाधिकारी
Seal बागेश्वर
(Full name and official seal of the District Collector

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

Form-II

(for liner project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwer

NO...................... *Dated..12/5/16*

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No-11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.980** hectares of forest and proposed to be diverted in favour of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand** for **Construction of Darimkhet to Kanyalikot Motor Road (Length 5.00) in Bageshwer.**

It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.980** hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Divison Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure........to annexure.......
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA: **YES**
- The each of concered Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any , having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of .... Village (s) is enclosed as annexure........
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: **YES**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: **YES**
- The right of primitive gropes and pre-agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the the FRA: **NA**

Encl: As above

Bhupal Singh Manral
District Collector
Bageshwar.
जिलाधिकारी
बागेश्वर

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
नि. ख. लो. नि. वि.
कपकोट

ANNEXURA-1

Office of the Deputy Commissioner
District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district,constuted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Bhupal Singh Manral I.A.S. deputy commissioner, Bageshwar on date 13/05/16 at time 4:00 pm at Bageshwar in which application claiming rights in **Darimkhet/Kanyalikot** area measuring **1.980** hect for the **Construction of Darimkhet to Kanyalikot Motor Road (Length 5.00) in Distt- Bageshwer** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Bageshwar

Dated: 13/05/16

Deputy Commissioner Chairman
District Level Committe
जिलाधिकारी
बागेश्वर

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

स्वामित्व/अनापत्ति प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः– माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण में उत्पादित होने वाले मलवे के निस्तारण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त मार्ग के किमी0 1 किमी (2-4 हे0) Km 2 (6-8 हे0) Km 3 (8-10 हे0) Km-4 (2-4 हे0) Km. 5 (4-6 हे0) में राज्य सरकार की भूमि मलवा एकत्रीकरण हेतु प्रस्तावित की गयी है। अतः जनहित में सडक के किनारे खडड् साईड में रिक्त भूमि पर दीवाल लगा कर मलवा एकत्रित करने में राजस्व विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

राजस्व उपनिरीक्षक
नन वज्यूला

तहसीलदार गरूड
जनपद–बागेश्वर

उप जिलाधिकारी
गरुड
बागेश्वर (उ0 ख0)

जिलाधिकारी
बागेश्वर

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0
कपकोट

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग में स्थानीय काश्तकारों की जितनी नापभूमि सड़क निर्माण में काटी जायेगी, उस भूमि का मुआवजा नियमानुसार जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध सर्किल दरों के आधार पर भुगतान लोक निर्माण विभाग करेगा। यदि भू–स्वामी उपलब्ध न हो तो उस दशा में उनके आश्रितों को नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा भूमि अधिग्रहीत कर मुआवजा काश्तकारों को विभाग द्वारा वितरित किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
कपकोट

जिलाधिकारी,

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट

IFMS
Uttarakhand

Type: Normal

8902422709241000

आकस्मिक देयक प्रपत्र
वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पाँच भाग -1
(देखें अध्याय - आठ , प्रस्तर 170, 180, 182, 183)

		लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण	
1- जनपद का नाम	बागेश्वर	मुख्य लेखाशीर्षक -	(5054)सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
2- कोषागार का नाम	अल्मोड़ा		
3- देयक की अवधि कब से.........कब तक		उप मुख्य लेखा शीर्षक -	(04)जिला तथा अन्य सड़कें
4- विभाग कोड	1 0 3	लघुशीर्षक -	(337)सड़क निर्माण कार्य
5- कोषागार/उपकोषागार का कोड	8 9 0 2	उपशीर्षक -	(03)राज्य सेक्टर
6- देयक पंजी की क्रम संख्या	000341	मानक मद/शीर्षक -	(04)एन0पी0वी0 का भुगतान / भूमि अधिग्रहण

7- वाउचर संख्या(कोषागार द्वारा भरा जाना है) [ ] वाउचर का दिनांक [ ]

8- मतदेय/भारित — मतदेय

9- लेखाशीर्षक सम्बन्धी 13 अंको का कोड (4 मुख्य लेखाशीर्षक + 2 उपमुख्य शीर्षक + 3 लघुशीर्षक + 2 उपशीर्षक + 2 ब्योरेवार शीर्षक — 5 0 5 4 0 4 3 3 7 0 3 0 4 5 4

10- आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम — अधिशासी अभियंता नि0 ख0 पी डब्ल्यू डी अल्मोड़ा

11- आहरण वितरण अधिकारी का कोड — 4 2 2 7

12- अधिष्ठान का नाम — अधिशासी अभियंता नि0 ख0 पी डब्ल्यू डी अल्मोड़ा

13- अनुदान संख्या — 0 2 2   14- सोर्स कोड 0   15- सेक्टर कोड

कलेक्टिंग अनुदान संख्या

16- आहरण से जुड़े लेखाशीर्षक (कलेक्टिंग सर्विस हेतु) (केवल भविष्य निधि अग्रिम एवं ऋण तथा अन्य अग्रिमों से सम्बन्धित भुगतान हेतु भरा जाये)

17- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)Project : PR8902422709241000 जनपद बागेश्वर में मा0 मु0घो0 सं0 665/2015 के अंतर्गत दाड़िमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 कि0मी0 मा0मा0 के निर्माण हेतु 1.98 है0 वनभूमि हेतु। Contract :

बजट की वर्तमान स्थिति				भुगतान का विवरण	
मानक मद का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट	मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	8500538	8500538	0	54-भूमि क्रय	4907010
				66 सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	4907010

कटौतियों का कोड सहित विवरण	
77 सम्पूर्ण कटौतियाँ	
99 शुद्ध देय धनराशि (66-77)	4907010

ONLY FOR OFFICIAL USE

क्रम संख्या	व्यय सम्बन्धी विवरण	धनराशि (रु0)	अभ्युक्ति
		4907010	
1	1 /04-SEP-2024/Mr Uttaranchal Campa	4907010	
66- सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)			
77- सम्पूर्ण कटौतियां		4907010	
99 शुद्ध देय धनराशि (66-77)			

प्रमाणित किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों तथा आदेशों की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद देयक कोषागार प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

Print Date : 04-Sep-2024

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0
अल्मोड़ा

...का हस्ताक्षर
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट (बागेश्वर)

खण्डीय लेखाधिकारी
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

(...अधिकारी के हस्ताक्षर ... के प्रकरण में ही लागू होगा)
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट (बागेश्वर)
(कार्यालय की मुहर)

कोषागार / उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

...रु0 Rupees Forty Nine Lacs Seven Thousand Ten Only भुगतान हेतु पारित किया जाता है।

...ण द्वारा रु० -

...सकल धनराशि रु० 49,07,010

कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

S.NO.	Beneficiary	Account Type	IFS Code	Account No.	Gross Amt	Total Ded.	Advance	Net Amount
1	OP8902422701221002 Mr Uttaranchal Campa	Saving	UBIN0996335	150896120005071	4907010	0	0	4907010
					4907010	0	0	4907010

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

Print Date : 04-Sep-2024

Head of Account जनपद बागेश्वर में मा मुख्यमंत्री घो० सं-615/2023 के अन्तर्गत ग्राम प्रयेतन से कफ्यालीकोट तक 5.00 किमी. मोटर मार्ग के निर्माण हेतु। Verified for Rs. 4,90,70,010/-

AE

Form No. 28- HAND RECEIPT

(See Chap. XIV, Para 440, 446 and 460)

Cash-Book Voucher No. Date........20

(1) Paid by Cheque/Cash/Rupees (49,07,010/-) to Sri. UTTRANCHAL CAMPA

(2) Paid by me * ....

RECEIVED for the E.E. in charge of C.P.P.W.D. Kapkot

Sub-Divison .... A.E. III Division the sum of Rs.

(4,90,70,10/-) Name of work * or purpose for which payment is made. पत्र सं. 749/25 बजट (वन संरक्षक)/2024-25 दि० 05-06-2024 एवं पत्रांक 2024-25 दि० 05-08-2024

(648/250 मद (कार्य कय) प्रमाणक भुगतान/2024-25

CPG

(Amount in Vernaculer) Rs. 4,90,7,010/-

Verified work M.B. No. 1321 page no. 122

Sd/- JE

AE 03/09/24

E.E.

Date 20

Signature of Payees

Withses

E.E. 08.2024

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो० नि० वि० कपकोट

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 30-08-2024

Agency Name.	PWDKAPKOT
Application No.	0120005071
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/59/2021/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	C.D.P.W.D.KAPKOTEBageshwar
Amount(In Rs)	4907010/-

Amount In Words :Forty-Nine Lakh Seven Thousand and Ten Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0990335
Pay to Account No.	150890120005071 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 30-08-2024

Agency Name.	PWDKAPKOT
Application No.	0120005071
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/59/2021/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	C.D.P.W.D.KAPKOTE Bageshwar
Amount(In Rs)	4907010/-

Amount In Words :Forty-Nine Lakh Seven Thousand and Ten Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0990335
Pay to Account No.	150890120005071 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , opurso@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Print | Back

U.T.R.N. R.B.I-24924828873686
Dt - 05-09-2024

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
कपकोट

Sno.	Proposal Detail	Application No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/20005/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/20005/2016) Construction of Darimkhet-Kanyalikot Motor road (Length 5.00)	ROAD200052016071	6120005071	07 Mar 2024	CA: 1990316/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 2916694/-, Addl CA: 0/-, CAT: 0/-, Addl PA: 0/-, Other Charges: 0/-, Other Charges10/-, Other Charges20/-, Other Charges30/- Total: 4907010/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 30 Aug 2024 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 30 Aug 2024 Transaction Date: 05 Sep 2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/240820241507568137_FPUKROAD200052016_User_Fund_Demanded_163T3.pc Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD200052016071)
2	FP/UK/ROAD/15785/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/15785/2015) Construction of Same to Dagti Via Gyandhura motor road (Length 6.00 Km)	ROAD157852015258	6115785258	24 Oct 2016	CA: 0/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 1692301/-, Addl CA: 0/-, CAT: 0/-, Addl PA: 0/-, Other Charges: 0/-, Other Charges10/-, Other Charges20/-, Other Charges30/- Total: 1692301/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 24 Aug 2024 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 24 Aug 2024 Transaction Date: 27 Aug 2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/090820241021128536_FPUKROAD157852015_User_Fund_Demanded_97034.pdf Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD157852015258)
3	FP/UK/ROAD/17945/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/17945/2016) Kameridevi Bantola Syakot Motor road Km 2 to Rangthari-Mjgaun-Chaunal motor Road(2.00 Km)	ROAD179452016621	6117945621	21 Jul 2016	CA: 0/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 365621/-, Addl CA: 0/-, CAT: 0/-, Addl PA: 0/-, Other Charges: 0/-, Other Charges10/-, Other Charges20/-, Other Charges30/- Total: 365621/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 24 Aug 2024 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 24 Aug 2024 Transaction Date: 27 Aug 2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/090820241017464797_FPUKROAD179452016_User_Fund_Demanded_T2208.pd Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD179452016621)

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०

परियोजना का नामः– माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665 / 2015 के अन्तर्गत दाड़िमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.960 है0 ग्राम प्रोलिं/सिविल सिविल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ली गयी है। वह क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

वन क्षेत्राधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी

ह0

प्रभागीय वनाधिकारी

गैरजवि० खतौनी उद्धरण
ग्राम- पोलिंग
पटवारीक्षेत्र- कपकोट
तहसील कपकोट जनपद- बागेश्वर

खा० खं०सं०	खातेदार का नाम	क्र० वर्ष	फसली वर्ष खसरा संख्या	रकबा खसरा संख्या	लगान रकबा (माली)	लगान	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	6	7
	श्रेणी ६ (३) ख अन्य साधारण वन-						
४४	जंगल		२	८४।।।-			श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश सं २१२ वप०नि (व०पं० अमलदरामद) 2000 दि 25/2/02 के अनुसार खेत नं० २, ८४।।।-, ३, ८६, ४, ४७।।।≡, ८४२, १४।।≡, ८४५, ३७६।।।-, ८४६, ५५, ८४८, १०।।=, ८५० म, ६४, ८७२ म, १२, ८७६ म, ७२, ८७७, ३७।-, ९०३, २२, ९०४, २३७।।।, ९०६, ८०।-, ९९१ना मे वनपंचायत पोलिंग के नामदर्ज की. पटवारी कपकोट
			३	८६			
			४	४७।।।≡			
			८	५=			
			८४२	१४।।≡			
			८४५	३७६।।।-			
			८४६	५५			
			८४८	१०।।=			
			८५०	६४।।।=			
			८७२	१२			
			८७६	७२।।-			
			८७७	३७।-			
			८८०	८।।-			
			८९२	५।=			
			९०३	२२।			
			९०४	२३७।।।			
			९०६	८०।-			
			९०८	१३०।≡			
			९१०	६५।।-			
	योग		१९	१४१७-			

8/June16
RSC
Kapkote

डिजिटल मानचित्र :– माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

0 0.5 1 1.5 2 Km

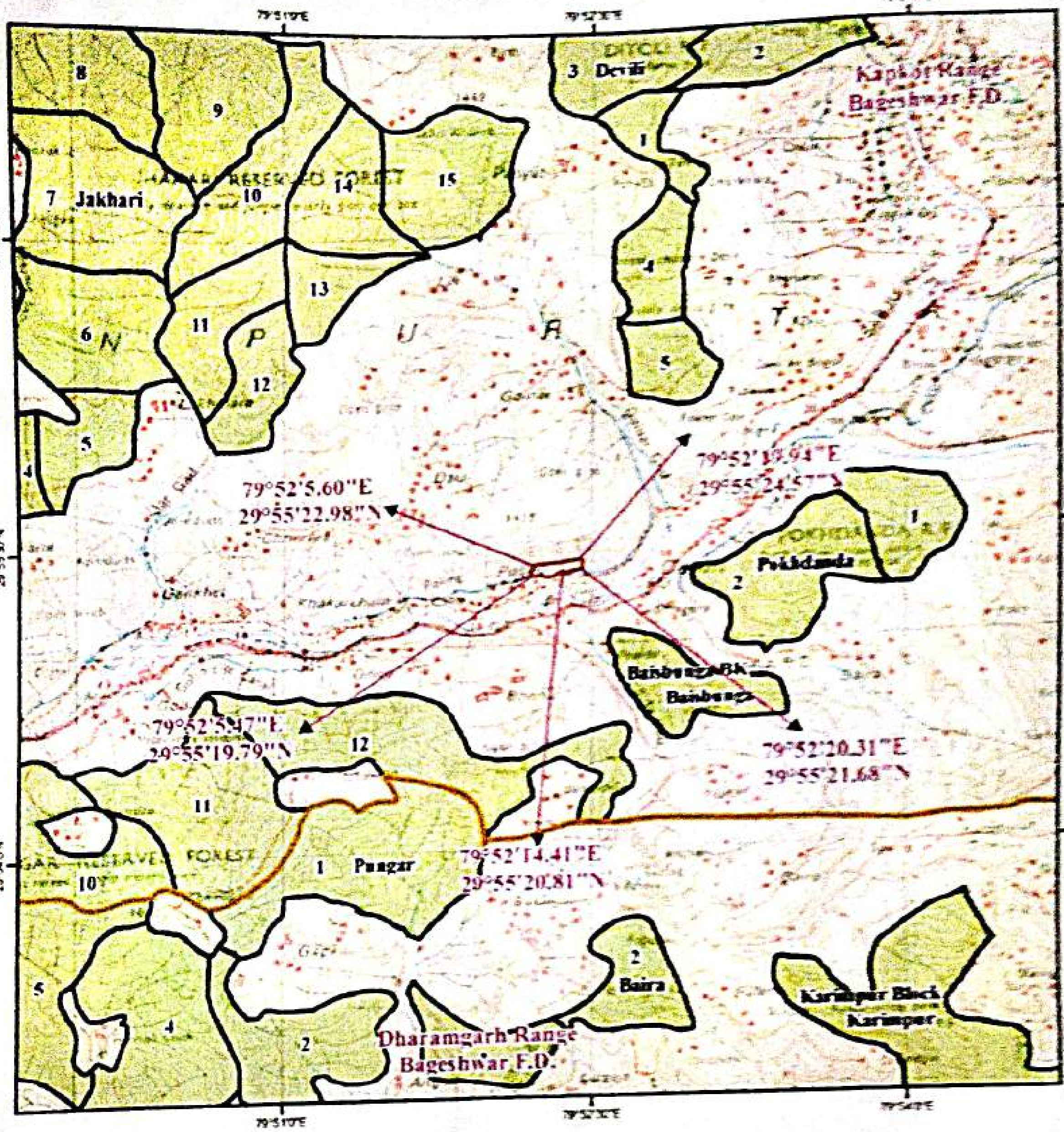

Legend

- Proposed Plantatin 3.96 Ha.
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
कपकोट (बागेश्वर)

डिजिटल मानचित्र :– माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

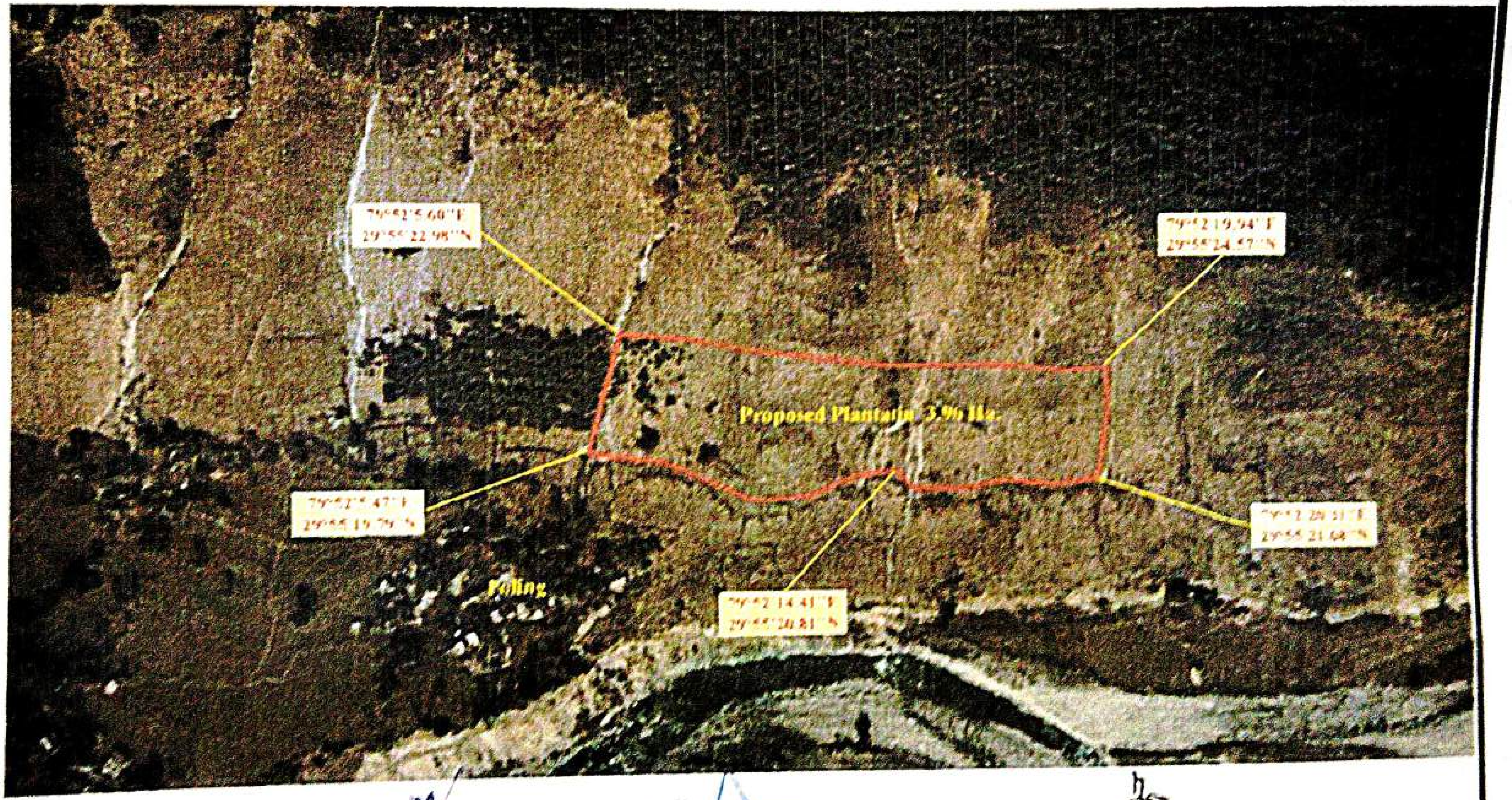

Legend

Proposed Plantatin 3.96 Ha.

वचनबद्धता

योजना का नामः– जनपद बागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.98 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रतयावर्तन (Online NO FP/UK/ROAD/20005/2016)

प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण हेतु पौधों की संख्या बढाये जाने हेतु प्रयोक्ता ऐजन्सी सहमत है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
कपकोट

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
कपकोट (बागेश्वर)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
कपकोट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
कपकोट (बागेश्वर)

वचनबद्धता

योजना का नामः— जनपद बागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.98 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रतयावर्तन (Online NO FP/UK/ROAD/20005/2016)

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
कपकोट

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
कपकोट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
कपकोट (बागेश्वर)

<u>वचनबद्धता</u>

योजना का नामः– जनपद बागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.98 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रतयावर्तन (Online NO FP/UK/ROAD/20005/2016)

पौधों का वृक्षारोपण (Plantation) कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित क्रिया जाता है कि निर्माण कार्यो के पूर्ण होने के पश्चात जॅहा–जॅहा सम्भव हो प्रयोक्ता एजेन्सी परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर वन विभाग द्वारा पौधों का वृक्षारोपण **(Plantation)** किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
कपकोट

स0 अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
कपकोट (बागेश्वर)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
कपकोट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
कपकोट (बागेश्वर)

वचनबद्धता

योजना का नामः— जनपद बागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.98 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रतयावर्तन (Online NO FP/UK/ROAD/20005/2016)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू–वैज्ञानिक/जिला टास्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों /शर्तो का निर्माण कार्य के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
कपकोट (बागेश्वर)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
कपकोट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
कपकोट (बागेश्वर)

वचनबद्धता

योजना का नामः– जनपद बागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.98 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रतयावर्तन (Online NO FP/UK/ROAD/20005/2016)

प्रमाणित किया जाता है आई0आर0सी0 मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढायी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
कपकोट (बागेश्वर)

वचनबद्धता

योजना का नामः– जनपद बागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665/2015 के अन्तर्गत दाड़िमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.98 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रतयावर्तन (Online NO FP/UK/ROAD/20005/2016)

प्रमाणित किया जाता है केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के विना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
कपकोट
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
कपकोट
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
कपकोट (बागेश्वर)

वचनबद्धता

योजना का नामः— जनपद बागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665 / 2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.98 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रतयावर्तन (Online NO FP/UK/ROAD/20005/2016)

प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।

सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
कपकोट (बागेश्वर)	कपकोट (बागेश्वर)

वचनबद्धता

योजना का नामः– जनपद बागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665 / 2016 के अन्तर्गत डाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 6.00 कि0मी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.98 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रतयावर्तन (Online NO FP/UK/ROAD/20005/2016)

प्रमाणित किया जाता है कि मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 कपकोट	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 कपकोट
सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0 कपकोट (बागेश्वर)	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग कपकोट (बागेश्वर)

वचनबद्धता

योजना का नामः— जनपद बागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.98 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रतयावर्तन (Online NO FP/UK/ROAD/20005/2016)

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
कपकोट (बागेश्वर)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
कपकोट (बागेश्वर)